अति–आवश्यक

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

पत्रांकः 1155   पटना, दिनांकः 12/06/2020

BRDSग्रा0 वि0 7(JJH)-08/2019 Part-I

प्रेषक,

सी0पी0खण्डूजा,
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषयः **''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' के तहत एक एकड़ से पाँच एकड़ तक के सार्वजनिक तालाब/पोखर के जीर्णोद्धार के कार्य मनरेगा अंतर्गत कराने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय संकल्प सं0 265964, दिनांक 10.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विभागीय संकल्प सं0 265964, दिनांक 10.06.2020 द्वारा जल–जीवन–हरियाली के अवयवों एवं क्रियान्वयन विभागों में कतिपय संशोधन किये गया है। मनरेगा योजना के परिप्रेक्ष्य में निम्न संशोधन किये गये हैः–

i. जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत वर्त्तमान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कार्य कराये जा रहे एवं प्रक्रियाधीन संरचनाओ एवं एक एकड़ से बड़े आहरों तथा पईनों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के पाँच एकड़ तक के सभी सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (ग्रामीण विकास विभाग) के माध्यम से कराया जा सकता है।

ii. सभी जिला में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यों (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, महात्मा गाँधी नरेगा, कार्यपालक अभियंता, महात्मा गाँधी नरेगा, जिला मत्सय पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग) की एक समिति होगी, जो संकल्प के प्रावधानों एवं उपरोक्त प्रस्तावों के तहत लघु जल संसाधन विभाग एवं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से क्रियान्वित किये गये एवं क्रियान्वित किये जाने योजनाओं का पृथ्क्कीकरण, एक योजना का एक से अधिक विभागों द्वारा क्रियान्वयन–दुहराव से बचाव हेतु Geo-tagging एवं क्रियान्वयन की निगरानी तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

2. उक्त के आलोक में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत वर्त्तमान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कार्य कराये जा रहे एवं प्रक्रियाधीन संरचनाओं एवं एक एकड़ से बड़े आहरों तथा पईनों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के पाँच एकड़ तक के सभी सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार मनरेगा के माध्यम से कराया जा सकता है। एक एकड़ तक के सार्वजनिक तालाब/पोखर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्व से ही मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। संशोधन के क्रम में एक एकड़ से बड़े और पांच एकड़ तक के सार्वजनिक तालाब/पोखर का जीर्णोद्धार कार्य मनरेगा के अन्तर्गत करवाया जा सकता है। प्रासंगिक संकल्प अनुसार उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी लघु जल

संसाधन विभाग एवं मनरेगा योजना के कार्यो का पृथक्कीकरण, Geo-tagging, निगरानी एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

3. दिनांक 08.06.2020 को Video Conferencing में ही संभावित संशोधन उपरान्त क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के संबंध में जिलों द्वारा आश्वासन दिये गये थे। उक्त संशोधन के क्रम में अपेक्षा है की सभी जिलों द्वारा संकल्प के प्रावधान अनुसार मनरेगा अन्तर्गत शीघ्रता से पांच एकड़ तक के सार्वजनिक तालाब/पोखर को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ कर दिये जाये।

अतः उपरोक्त के आलोक में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत वर्त्तमान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कार्य कराये जा रहे एवं प्रक्रियाधीन संरचनाओं एवं एक एकड़ से बड़े आहरों तथा पईनों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के पाँच एकड़ तक के तालाब/पोखर सहित अन्य सभी सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करते हुये जल्द से जल्द प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

12.06.2020

(सी0पी0खण्डूजा)
आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांक 1155/दिनांक 12/06/2020
BRDSग्रा0 वि0 7(JJH)-08/2019 Part-I

प्रतिलिपिः सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा)/कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मनरेगा)/सहायक अभियंता (मनरेगा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, MGNREGA, BRDS, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12-06-2020

आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांक 1155/दिनांक 12/06/2020
BRDSग्रा0 वि0 7(JJH)-08/2019 Part-I

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः निदेशक, जल–जीवन–हरियाली मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12-06-2020

आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांक 1155/दिनांक 12/06/2020
BRDSग्रा0 वि0 7(JJH)-08/2019 Part-I

प्रतिलिपिः मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

12-06-2020

आयुक्त, मनरेगा